5971-dt.11.11.16

दिनांक 21–10–2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बजट 2017–18, PFMS, CFMS से संबंधित बैठक की कार्यवाही:–

168

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई:–

(1) बजट से संबंधित

भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना तथा गैरयोजना को एकीकृत कर दिया गया है। इससे संबंधित सूचना तथा विस्तृत दिशा–निर्देश सभी विभागों को भेजा जा चुका है। इस सम्बन्ध में 24 अक्टूबर को वित्त विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भी सभी योजना–गैर योजना एकीकृत करने का निर्णय लिया जा चुका है। बजट के कार्य के संचालन के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल पदाधिकारी होगे जो कि वित्त विभाग के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करके अपनी समस्याओं का निराकण करा सकेंगें। October माह के अन्त तक गैर योजना तथा November महीना के 15 तक योजना बजट को अंतिम रूप दिए जाने का लक्ष्य है।

(2) लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि इस साफ्टवेयर में दर्शाए जाएँगे। इन योजनाओं से रांबंधित विभाग को उक्त राशि का व्यय (Fund Flow) संबंधित एक hierarchy बनाकर अंतिम चरण तक कार्य करने वाली एजेंसी को चिन्हित तथा पंजीकरण PFMS के तहत कराना होगा।

PFMS हेतु विभिन्न विभाग सबसे निचले स्तर तक कार्य करने वाले पदाधिकारी /कर्मचारी को प्रशिक्षित करेंगें। इसके लिए वित्त विभाग प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगी तथा CGA office द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए Trainer को विभिन्न विभाग में भेजकर कार्य को शीघ्रता से पूरा करवाएगी। मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि सभी विभाग अपने स्तर से समय सीमा निर्धारित करे और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी खुद तय करे कि कैसे सबसे निचले स्तर तक कार्यान्वयन एजेंसी का पंजीकरण PFMS पोर्टल पर शीघ्र किया जा सकता है क्योकि सभी विभाग की संरचना अलग–अलग । वित्त विभाग में एक help group भी बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रिय योजनागत योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि के अतिरिक्त भविष्य में राज्य योजना को भी PFMS पोर्टल से जोड़ने की इच्छा जाहिर की। PFMS पोर्टल से यह जानकारी प्राप्त की जा सकेगी कि किस विभाग में कितनी राशि का उपयोग हुआ है तथा कितनी अव्यवहृत पड़ी है ।

2683/s.s
04-11-2016

117 (3) **e-Receipt**

वित्त विभाग द्वारा e-Receipt पोर्टल तैयार किया गया है जिसके द्वारा सभी विभागों को एक ही पोर्टल का उपयोग करके सभी प्रकार की प्राप्ति को सरकारी खाते में भेजा जा सकेगा । इसके द्वारा विभिन्न बैंको के खाते में जो सरकारी पैसे पड़े होते है और उनकी गणना करना मुश्किल होता है, उस समस्या का निराकरण हो सकेगा। मुख्य रुप से राजस्व वसूली करनेवाले विभाग को सबसे पहले इससे जोड़नें का सुझाव दिया गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस Portal का फायदा उठाने का निदेश दिया।

(4) **e-Payment**

इस साफ्टवेयर की सहायता से भुगतान की जाने वाली राशि सरकारी खाते से सीधे beneficiary, contractor, supplier, vendor आदि के खाते में की जाएगी। ऐसा होने से एजेंसी बैकों की भूमिका कम हो जाएगी। e-Payment होने से उपयोगिता प्रमाण–पत्र, PL/PD तथा reconcilation की समस्या का निदान भी हो सकेगा ।

(5) **CFMS**

यह साफ्टवेयर अगले वित्तीये वर्ष 2017–18 में चरणबद्ध तरीके सें कार्यरत की जाएगी और साल के अंत तक पूरी तरह कार्यरत हो जाएगी ।

इस साफ्टवेयर मे प्रत्येक डी0डी0ओ0 को Digital Signature/e-sign दिया जाएगा। डी0डी0ओ0 द्वारा पेश किये वाली सभी बिल डिजिटली/ई–साइन्ड होगें। इस e-sign को डी0डी0ओ0 के मोबाइल न0 तथा आधार न0 से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि वित्त विभाग द्वारा यह निदेश जारी किया जाय कि सभी सरकारी पदाधिकारी को आधार न0 होना चाहिए। इस साफ्टवेयर के कार्यान्वयन हेतु डी0डी0ओ0 को आवश्यकतानुसार कम्प्युटर और स्कैनर दिया जाएगा, सभी बिल ऑनलाइन होगें तथा physical bill नहीं होगें । सभी जिलों के मुख्यालयो मे हेल्प सेटर बनाए जाएँगें। वर्तमान में डी0डी0ओ0 की संख्या बहुत अधिक है। सभी विभाग विश्लेषण करके डी0डी0ओ0 की संख्या कम करेंगे। विशेष रूप से शिक्षा विभाग अपना डी0डी0ओ की संख्या कम करनी होगी।

इस साफ्टवेयर की सहायता से PL/PD एकाउंट को भी बैंक एकाउंट की तरह उपयोग किया जा सकेगा। work & forest division को भी online भुगतान करना आसान होगा । CAG बिहार को भी सभी बिल तथा एकाउंट ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगे और Physical bill / voucher भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

166

ज्ञापांक :– का0प्र0/PFMS-01/2016/8454 दिनांक :– 27.10.16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/ सूचना प्रावैधिकी विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ कृषि विभाग/ खान एवं भूतत्व विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विभाग)/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ जल संसाधन विभाग/गन्ना उधोग विभाग/ विधि विभाग/ खाद् एवं उपभोक्ता संरक्षण/ पंचायती राज विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ गृह विभाग/पर्यटन विभाग/ लोक स्वाथ्य अभियंत्रण/नगर विकास एवं आवास विभाग/ श्रम संसाधन/भवन निर्माण/ सहकारिता विभाग/परिवहन विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ गृह विभाग (कारा)/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ऊर्जा विभाग/ कला एवं संस्कृति/ वाणिज्यकर विभाग/ईख विभाग/ विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ उधोग विभाग/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

27/x

(एच0 आर0 श्रीनिवारा)
सचिव(संसाधन)।
वित्त विभाग

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञापांक–8डी0(नीति आयोग)04–18/2015– 5971 पटना, दिनांक– 11.11.16

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, कल्याण(मुख्यालय)/ सभी सहायक निदेशक अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं लेखाशाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वित्त विभाग के पत्र के आलोक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

निदेशक। 11.16

lerrer-u.ss doc